

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

वेबसाइट अपग्रेडेशन जानबूझकर रोका गया, मराठा समुदाय के सदस्यों को लाभ से वंचित किया गया : अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ अध्यक्ष

Publisher

Published on 08 Nov 2025



नासिक से सामने आए एक विवाद ने पूरे मराठा समाज में चिंता और असमंजस की लहर दौड़ाई है।

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ (APAVM) के अध्यक्ष नरेंद्र पाटील ने आरोप लगाया है कि महामंडळ की वेबसाइट **9 अक्टूबर** से बंद पड़ी हुई है और इसे जानबूझकर उपयोग योग्य नहीं बनाया जा रहा है ताकि मराठा समुदाय के सदस्यों को आर्थिक योजनाओं का लाभ नहीं मिल सके। उन्होंने बताया कि इस वेबसाइट बंदी के कारण लगभग दस हजार से अधिक सदस्यों को “लेटर ऑफ इंटेन्ट” (LOI) नहीं मिल पाया, जिससे उन्हें बैंक लोन या स्वरोजगार सहायता नहीं मिल सकी।

उनके अनुसार यह समस्या विशेष रूप से दिवाली के समय उभरी — जब बहुत से लोग नए व्यवसाय या वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे। इस समय में वेबसाइट के बंद होने की वजह से LOI जारी नहीं हो पा रही थी, जो कि बैंक लोन के लिए पहला कदम माना जाता है। “वेबसाइट 9 अक्टूबर से अपडेटिंग के नाम पर बंद है, यह सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं बल्कि एक जानबूझकर की गई देरी है,” पाटील ने कहा।

उनका आरोप था कि इस देरी के पीछे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी या वित्त विभाग के जिम्मेदारियों में दबाव की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा, “मुझे इस पूरे मुद्दे की जानकारी नहीं दी गई थी, यह केवल संभव है कि यह सब किसी के ‘हस्तक्षेप’ से हुआ हो।” उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले को उठाने की बात कही है।

महामंडळ के प्रबंध निदेशक विजयसिंह देसमुख ने इस आरोप को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वेबसाइट अपग्रेडेशन का काम चल रहा है — इसमें सुरक्षा ऑडिट, नए मोबाइल-एप प्लान, बैंक एपीआई एकीकरण जैसे कदम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश सुविधाएँ जारी हैं, केवल LOI जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

वास्तव में, यह विवाद तकनीकी समस्या से कहीं अधिक सामाजिक न्याय की समस्या बनता जा रहा है। मराठा समुदाय की ओर से

यह सवाल उठाया गया है कि जब लाभार्थी योजनाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म बंद हो गया हो तो क्या उसे सामान्य 'तकनीकी त्रुटि' मान लेना पर्याप्त है ? इस प्रकार की देरी विशेष रूप से कमजोर वर्गों और योजनाओं पर निर्भर लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है ।

लाभार्थियों ने बताया कि उन्होंने समय से आवेदन किया था, लेकिन LOI न मिलने के कारण उन्हें बैंक की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया । इससे स्वरोजगार के अवसर छूट गए, जिसका असर उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा । इस बीच नामी-गिरामी नेताओं और संगठनों ने इस मामले की गंभीरता पर ध्यान देने की अपील की है ।

राज्य सरकार के लिए यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि मराठा समुदाय आरक्षण और कल्याण योजनाओं के संदर्भ में पहले से ही संवेदनशील माना जाता है । यदि योजनाओं का लाभ पहुँचने में बाधा आए या पहुँच देर हो जाए तो समाज में भरोसा कम हो सकता है । ऐसे में प्रशासन और महामंडळ को यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी रूप से होने वाली देरी सीधे लाभार्थियों को प्रभावित न करे ।

इस विवाद ने यह भी दिखाया है कि आज-कल सरकारी पोर्टल्स और डिजिटल माध्यम कैसे योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका निभा रहे हैं । अगर एक वेबसाइट बंद हो जाए या सही तरीके से काम न करे, तो यह केवल एक तकनीकी मसला नहीं रह जाता — यह लोगों के जीवन और अवसरों से जुड़ा काम बन जाता है । इसलिए ऐसी स्थिति में पारदर्शिता, समयबद्ध सुधार और लाभार्थियों को पुनः सूचना देना बेहद जरूरी है ।

नासिक में यह मामला अब आगे की कार्यवाही के लिए बातचीत का विषय बना हुआ है । यह देखा जाना बाकी है कि वेबसाइट कब पूरी तरह चालू होती है, और उन दस हजार से अधिक सदस्यों को कदम कैसे उठाए जाएंगे जिनका आवेदन या सहायता लंबित है । इस घटना से यह स्पष्ट हुआ है कि योजनाओं की पहुँच के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्मों का सुचारु कामना सिर्फ सहायक नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया है ।

आगे भी यह मामला सामाजिक न्याय-व्यवस्था, लाभार्थी विश्वास और डिजिटल प्रशासन के बीच की खाई को परिभाषित करने वाला बन सकता है । इस समय मराठा समाज की निगाहें प्रशासन पर हैं कि वे इस देरी को कैसे सुधारेंगे और लाभार्थियों को पुनः अपनी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा या नहीं ।